

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.4(2)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक

—: आदेश :—

५.१०.१८

श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्व पदस्थापन के परिपेक्ष में इनकी वरियता द्वितीय श्रेणी संख्या 54/2010 के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प.2(1)साप्र/2/2010 दिनांक 12.11.2010 द्वारा राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर आवंटित किया गया था। जिसमें दिनांक 19.11.2010 से काबिज है। इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2016 को हो चुकी है।

कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा संख्या प. 9(5)कार्मिक/क-1/2016 पार्ट दिनांक 1.9.2016 द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा जयपुर) को विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर दिनांक 1.9.2016 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) पे—माईनस पेंशन के आधार पर नियुक्त किये जाने के कारण इस विभाग के आदेश संख्या प.4(2)साप्र/2/2012 दिनांक 6.10.2016 द्वारा राजकीय आवास आवंटन नियम—1958 के नियम—27 में शिथिलन प्रदान करते हुए दिनांक 2.9.2016 कार्यग्रहण की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए आवंटित राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति प्रदान की गई थी।

कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा संख्या प. 9(5)कार्मिक/क-1/2016 पार्ट दिनांक 12.10.2017 द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा जयपुर) को विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर दिनांक 3.9.2017 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) पे—माईनस पेंशन के आधार पर बढ़ाई गई थी, के परिपेक्ष में नियम—27 में शिथिलन प्रदान करते हुए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2017 द्वारा दिनांक 3.9.2017 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए आवंटित उक्त राजकीय आवास में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को नियम—27 के अन्तर्गत शिथिलन प्रदान करते हुए कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 4.9.2018 के क्रम में दिनांक 2.9.2018 से 31.12.2018 तक के लिए आवंटित राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हौ
(डॉ. पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 संभागीय आयुक्त, जयपुर।
- 2 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 3 विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी अशा. टीप. संख्या क्रमांक: मुम—ओएसडी/पीएस/2018/SP-1 दिनांक 10.9.2018 के क्रम में।
- 4 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 302/एम/जीएडी/2018 दिनांक 04.10.2018 के क्रम में।
- 5 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 6 मुख्य अभियंता, भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 9(5)कार्मिक/क-1/2016 दिनांक 4.9.2018 के क्रम में।
- 8 वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 9 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-3/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विविध निगम लिंग गांधीनगर, जयपुर।
- 11 श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 12 निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 13 प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर —कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- 14 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
- 15 सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 16 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- 17 रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव